

संख्या एफ. 31011/5/81-स्थापना {क}

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27-1981

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत योजना का उदासीकरण ।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 7 फरवरी, 1961 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/7/59- स्थापना {क} के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त का०ज्ञा० के पैरा 1 के आंशिक संशोधन में, जो स्थान रेल मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं उन स्थानों के बीच बस द्वारा की गई यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी यात्रा रियायत के दावों को वित्त मंत्रालय {व्यय विभाग} के दिनांक 2-7-1975 के का०ज्ञा० सं० एफ. 19030/1/73-ई-IV {बी} के संद संख्या 11 के प्रति {क} तथा {ख} के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

2. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षो और लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके जारी किये गये हैं ।

जी. ए. निम
{बी.एस. निम}

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को
सामान्य प्रतियों के साथ